न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचौली)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 86 / 2023

1. श्री गणपत पुत्र हीरालाल जाति राव निवासी देवपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी

प्रार्थी

बनाम

1. करणा पुत्र नाथा
2. गिरधारी पुत्र नाथा
3. छोटू पुत्र नाथा
4. सुक्खी पत्नि नाथा
5. सद्दा पुत्र नाथा समस्त जातिगण रावत निवासीगण देवपुरा तहसील केकडी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला केकडी

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः-06.10.2023

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम देवपुरा पटवार हल्का पडांगा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072-2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 24 में दर्ज खसरा नं. 15 रकबा 0.31 हे0 किस्म बारानी-3 प्रार्थी को तन्हा रूप से आवंटित भूमि है जिस पर आवंटन दिवस से अनवरत प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि आवंटन आदेश की पालना में प्रार्थी के पक्ष में तन्हारूप से गैरखातेदारी दर्ज की गई लेकिन जमाबंदी में अंकन करते समय अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 का नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया जो विधिसंगत नहीं है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थी का ही हक अधिकार एवं अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अतः उक्त जमाबंदी में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का नाम हटाया जाकर आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगणों का न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 नोटिस तामिली बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 का नाम सहवनवश दर्ज होना स्वीकारते हुए प्रार्थी द्वारा वांछित आनुतोष न्यायसंगत होना बताया। प्रकरण के सन्दर्भ में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आवंटन सूची वर्ष 2005, गैर खातेदारी नामान्तकरण सं. 111 दिनांक 26.02.2005, जवाब सरकार आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आनुतोष योग्य पाया जाता है। अतः **ग्राम देवपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072-75(2076 से स्थायी) के खाता सं. 24 में दर्ज खातेदार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का नाम हटाये जाने की स्वीकृति दी जाती है शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी, भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)